[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), Dated 19th August, 2013]

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 19th August, 2013.

No. PF-27/48923.- In exercise of the powers conferred by section 23 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975), the Governor of Haryana hereby exempts all such persons who submit licence application for any site for grant of licence under the Affordable Housing Policy 2013 under Section 3 of the Act, from payment of licence fees and infrastructure development charges as well as limit the recovery of external development charges by the Director at the rates prescribed for plotted colony, subject to submission of an undertaking by such person conveying unequivocal acceptance of all terms, conditions and policy parameters prescribed under the 'Affordable Housing Policy 2013'.

Further, if the colonizer completes the project in three and a half year from the date of commencement of project and applies for grant of occupation certificate in such period, the payment of last installment of external development charges shall be considered for exemption after grant of occupation certificate.

T.C.Gupta
Principal Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department.

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), Dated 19th August, 2013]

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19, अगस्त, 2013

संख्या पी एफ 27/48923– हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8), की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, ऐसे सभी व्यक्तियों जो वहन करने योग्य आवासन पॉलिसी, 2013 के अधीन विहित सभी निबन्धनों, शर्तों तथा पॉलिसी पैरामीटर की सुस्पष्ट स्वीकृति देने वाले ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए वचन को प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए प्लाटिड कॉलोनियों के लिए विहित दरों पर निदेशक द्वारा अनुज्ञप्ति फीसों तथा अवसंरचना विकास प्रभारों के भुगतान तथा आन्तरिक विकास प्रभारों की वसूली की सीमा से अधिनियम की धारा 3 के अधीन वहन करने योग्य आवासन पॉलिसी, 2013 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए किसी स्थल हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करता हैं, को छूट देते हैं।

आगे, यदि कालोनाईजर परियोजना के प्रारम्भ की तिथि से साढ़े तीन वर्ष में परियोजना पूरी करता है तथा ऐसी अवधि में अधिभोग प्रमाणपत्र देने के लिए आवेदन करता है, तो आन्तरिक विकास प्रभारों की अन्तिम किस्त का भुगतान करने में अधिभोग प्रमाणपत्र देने के बाद छूट के लिए विचार किया जाएगा।

टी0 सी0 गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।